संख्या– 51 /XLII–1/2019–03(01)2010

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 22 जनवरी, 2019

विषय–उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के प्रशासनिक भवन, सर्विसेज आदि अधूरे निर्माण कार्यों के विस्तृत पुनरीक्षित आगणन के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1149/कुलसचिव पटल/2016 दिनांक 17.05.2016 एवं पत्र संख्या–4524/प्र0भ0नि0/प्रशासन/2017 दिनांक 14.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के प्रशासनिक भवन, सर्विसेज एवं एकेडमिक फैकल्टी ब्लॉक तथा सैन्ट्रल लाईब्रेरी के अवशेष कार्यों हेतु Work has been done/Work to be done के आधार पर गठित आगणन रूपये 1930.06 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत आगणन रूपये 1873.68 लाख में से नियोजन विभाग के परामर्शानुसार Disposal of surplus earth beyond 8 km से सम्बन्धित व्यय रू0 31.22 लाख की कटौती करने के उपरान्त आगणन रू0 1842.46 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या–80/XXIV(7)/2006 दिनांक 19.12.2006; शासनादेश संख्या–64/सं0शि0/XXIV–4/2008 दिनांक 27.03.2008 एवं शासनादेश संख्या–79/सं0शि0/XXIV–4/2010–3(1)2010 दिनांक 29.03.2011 द्वारा आवंटित धनराशि क्रमशः रू0 209.05 लाख; रू0 201.90 लाख एवं रू0 850.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रूपये 1260.95 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रूपये 581.51 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित धनराशि में से रू0 100.76 लाख (रूपये एक करोड़ छियत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य निर्धारित अवधि में अवश्यक पूर्ण कर लिया जाय तथा इस हेतु Pert Chart (प्रोग्राम मूल्यांकन समीक्षा तकनीकी चार्ट) एवं गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन न तो पुनरीक्षित किया जायेगा और न ही कोई आगणन स्वीकार किया जायेगा।

(2) वर्तमान परिदृश्य में Energy efficient buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाये जाने तथा इस हेतु Buildings के सम्बन्ध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस सम्बन्ध में Tata energy research Institute (TERI) द्वारा जारी Guidelines/Representative Design of Energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय।

(4) निर्माण सामग्री यथा Bricks, Cement, Steet एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से Vet कराया जाय। साथ ही Reinforcement steet की मात्रा Bar bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाय तथा बचत के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जायेगा

(6) Electrical Items जैसे– Switches, Wires, MCB, MCCB, A.C. आदि, Plumbing Items जैसे– Bath Fittings, Geyser, Water tank, Pipes आदि Toilet Items, Wood Items आदि की Market Survey कर DSR दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में ही कम से कम 03 निर्माता या उनके Authorised Distributors के Quotations प्राप्त कर Brand Name निर्धारित कर लिया जाय। यदि Procurement मदों की लागत रूपये 3.00 लाख से अधिक हो तो, कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार की जायेगी।

(7) आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा DSR की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोंण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं यह सही है कि मदें DSR में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(10) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं के0लो0नि0वि0/लो0नि0वि0/द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(11) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए।